

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2941/

जबलपुर, दिनांक 28/6/2019

दो-14-153/84

श्री हरीश कुमार कुशवाहा, अनुभाग अधिकारी (कैशियर न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को पैर में फेक्चर होने के कारण दिनांक 30.03.19 से 25.05.19 तक 57 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक C/2942/

जबलपुर, दिनांक 28/6/2019

दो-14-153/84

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक अवकाश/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री हरीश कुमार कुशवाहा, अनुभाग अधिकारी (कैशियर न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(दीपेश तिवारी)  
रजिस्ट्रार (न्यायिक-दो)

